हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
30/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि O.9, R.13 CPC के प्रा० पत्र की बहस से पूर्व मूल निर्णित दावे की पत्रावली तलब की जावे। अतः रीडर मूल पत्रावली पेश करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04/06/2019 को पेश हो।
04/06/2019	पत्रावली पेश। वकुलाय फरीकैन उप०। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 09/08/19 को पेश हो।
9/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ [illegible] अधिकारी अनुपस्थित [illegible] में व्यस्त। दौरे पर [illegible] आईन्दा पत्रावली [illegible] दिनांक- 5/11/19 को पेश हो।
5/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ [illegible] अधिकारी अनुपस्थित [illegible] में व्यस्त। दौरे पर [illegible] आईन्दा पत्रावली [illegible] दिनांक- 26/11/19 को पेश हो।
26/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस/मिसल दिनांक 12/12/19 को पेश हो।
12/12/19	वकुलाय उपस्थित। बहस प्रा० पत्र O.9 CPC पर सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि:- न्यायालय सहायक कलक्टर में एक वाद पत्र उनमानी मोहन आदि बनाम प्रभु आदि मु०

मु० सं० 1452/14 भोमाराम बनाम मोहन

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
319/2010 बाला-बाला डिक्री 19/11/10 को पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में मृतक पक्षकारों को पक्षकार बनाते हुये बाला-बाला एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर एक पक्षीय डिक्री गलत अवैध व विरुद्ध कानून पारित करवा ली जो प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है अतः प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC स्वीकार फरमाया जाकर एक पक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 18.03.2011 मु० नं० 319/2010 मु० भवानी मोहन आदि बनाम प्रभू आदि निरस्त फरमायी जावे व मूल वाद पत्र को वापस नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगण को जवाबदेही का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।	
जबाब में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की दलीलों का खण्डन करते हुए कथन दलीलें किया कि वाद अप्रार्थीगण ने कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि ख० नं० पुराने 453 जिसके नये ख० नं० 913 ग्राम कोटडी लुहारवास पर वादीगण/अप्रार्थीगण 1 ता 3 वमय बुजुर्गों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। पहले इनका बुजुर्ग रामेश्वर पुत्र सेडूराम काबिज था उसकी मृत्यु के पश्चात वादीगण काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादीगण का उस भूमि पर	

रीख हुक्म

से कोई संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नही रहा है। ना ही इस नाम के व्यक्ति इस ग्राम में रहते रहे हैं प्रतिवादीगण की तामिल ग्राम कोटड़ी लुहारवास में तामील कुनिन्दा लेकर गया था तथा तामील पर अंकन किया है कि प्रतिवादी नाम कोई व्यक्ति ग्राम कोटड़ी लुहारवास में नहीं है। इसके पश्चात जरिये डाक तामिल की तथा फिर अखबार से प्रतिवादीगण की तामील करवायी गयी है। विधिक प्रक्रिया के तहत तामील करवायी जाने बाद भी न्यायालय में कोई हाजिर नहीं आया तथा इनके विरुद्ध साक्ष्य प्रमाण एकतरफा करके विधिक प्रक्रिया के तहत ही वादीगण / प्रार्थीगण का दावा डिक्री किया था जो सही है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC केवल हैरान परेशान करने की नियत से पेश किया है जो पृथक पृथक्या ही खारीज योग्य है। खारीज किया जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तामीलों का अवलोकन किया गया। तथा पत्रावली के साथ पेश शुदा मृत्यु प्रमाणपत्र व जाति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। प्रा०पत्र 09R

मु० सं० 1451/4

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

का मूल वाद मु० सं० 319/2010 दिनांक दिनांक 19/11/2010 को पेश किया गया था उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी सं० 1, 2 व 4 दावा दायरी से पूर्व ही फौत हो चुके थे मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पेश नहीं किया जा सकता है तथा प्रतिवादी सं० रघुनाथ पुत्र शंकर की आपत्ति आती है लेकिन डिक्री में प्रतिवादी सं० 3 की कुम्हार दर्ज की गयी है अतः वादीगण का वाद पत्र मु० सं० 319/2010 मरे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पेश किया जाकर व प्रतिवादी सं० 3 की गलत जाति अंकित करवाकर गलत तामील करवाकर वाद पत्र डिक्री किया गया है जो विधि विरुद्ध है अतः

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 09 R13 CPC स्वीकार किया जाता है तथा एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2011 मु० नं० 319/2010 उनवानी मोहन बनाम प्रभू आदि निरस्त किया जाता है। मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगण को जवाब देही का अवसर दिया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत सिंह RAS)
अधिकारी